राजस्व पर्षद, बिहार, पटना

सं0सं0–07 / स्था0(राजगामी)–07 / 2023– 1218

पटना, दिनांक– 30–10–2023

विषयः– जहानाबाद अंचल के मौजा–मखदुमपुर ऊँटा अवस्थित विभिन्न खाता, प्लॉट का कुल–1.61 एकड़ भूमि को राजगामी सम्पत्ति घोषित करने के उपरांत उक्त भूमि पर सरकार का स्वत्व पंजीकृत करने एवं भूमि का विकास जहानाबाद नगर के विकास के प्रयोजन के लिए करने की स्वीकृति के संबंध में।

चूँकि माननीय न्यायालय–अवर न्यायाधीश प्रथम, जहानाबाद द्वारा स्वत्व वाद सं0–49 / 1987– सैयद हरिश जाफर एवं अन्य.....वादी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य..... प्रतिवादीगण द्वारा वाद बिन्दु–09 "क्या विवादित संपत्ति राज्यगामी संपत्ति थी?" के विचारण उपरान्त माननीय न्यायालय का आदेश निम्न रूपेन अभिलेखित है,

"ऐसी स्थिति में वाद बिन्दु संख्या–09 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।"

एवं

चूँकि माननीय न्यायालय–अवर न्यायाधीश प्रथम, जहानाबाद द्वारा स्वत्व वाद सं0–49 / 1987– सैयद हरिश जाफर एवं अन्य.....वादी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य..... ..प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वाद में दिनांक–19.11.2013 को पारित आदेश के "बिन्दु–11 क्या विवादित भूमि वादी का है ?" के विचारण उपरान्त माननीय न्यायालय का आदेश निम्न रूपेन अभिलेखित है,

"बिन्दु–11 वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।"

एवं

चूँकि माननीय न्यायालय–अवर न्यायाधीश प्रथम, जहानाबाद द्वारा स्वत्व वाद सं0–49 / 1987– सैयद हरिश जाफर एवं अन्य.....वादी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य..... ..प्रतिवादीगण द्वारा वाद बिन्दु–12 "क्या वादी विवादित संपत्ति पर दखल पाने का अधिकारी है तथा 40,000 / –रूपया बकाया किराया व एक लाख रूपया क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है?" के विचारण उपरान्त माननीय न्यायालय का आदेश निम्न रूपेन अभिलेखित है,

"चूँकि विवादित भूमि पर वादी का कोई स्वत्व, अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी न तो किसी बकाया किराया को प्राप्त करने का अधिकारी है और न क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है तथा प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का कोई आधार नहीं बनता है। दोनो विवाधक वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।"

एवं

चूँकि माननीय न्यायालय–अवर न्यायाधीश प्रथम, जहानाबाद द्वारा स्वत्व वाद सं0–49 / 1987– सैयद हरिश जाफर एवं अन्य.....वादी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य..... प्रतिवादीगण में माननीय न्यायालय का दिनांक–16.11.2013 को पारित आदेश निम्न रूपेन अभिलेखित है,

"वादीगण का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध .....वाद व्यय के साथ अस्वीकृत किया जाता है।"

एवं

चूँकि न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, जहानाबाद का वाद सं0–57 / डी0एम0 / 1988–89 (सरकार बनाम दारू सलाम) में दिनांक–12.03.2013 को पारित आदेश का Operative Part निम्नवत् है–

"इस वाद में अंकित खाता सं0–194, 199, 200, 195 एवं 201 तथा खेसरा सं0–660, 659, 687, 688, 661, रकवा–0.18, 0.11, 0.25, 0.24 एवं 0.83 कुल 1.61 एकड़ भूमि स्व0 वीवी कमरून निशा एवं उनके लड़के स्व0 अब्दुल सतार एवं मो0 गुलाम के नाम राजस्व पंजी दो में अंकित था। ये लोग वर्ष 1950–51 के पूर्व ही पाकिस्तान चले गये। इस भूमि तथा मकान का कोई भी वैद्य उत्तराधिकारी नहीं है। यह मामला **Escheat Regulation 1810** संशोधित 1 के 1903 **Bengal Regulation Act, 1810** राजस्व पर्षद, बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली में अंकित प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त जमीन एवं मकान सरकार में निहित हो जाती है।

अतः विपक्षी का दावा निराधार एवं गलत है, जिसे अस्वीकृत करते हुए उपरोक्त भूमि राज्य सरकार में निहित किया जाता है। नियमानुसार इस राजगामी सम्पत्ति के संबंध में आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया एवं बोर्ड ऑफ रेभन्यु (राजस्व पर्षद) बिहार सरकार से आदेश प्राप्त करना आवश्यक है। पूर्ण अभिलेख के साथ उपरोक्त पदाधिकारी के पास स्वीकृति हेतु भेजा जाय।"

एवं

चूँकि समाहर्त्ता, जहानाबाद के पत्रांक–1817, दिनांक–12.08.2023 द्वारा जहानाबाद अंचल के मौजा–मखदुमपुर ऊँटा अंतर्गत निम्नांकित भूमि को राज्य सरकार में निहित (राजगामी सम्पत्ति) किये जाने की सूचना राजस्व पर्षद को दी गई है–

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
194	660	0.18 एकड़
195	688	0.24 एकड़
199	659	0.11 एकड़
200	687	0.25 एकड़
201	661	0.83 एकड़
कुल		1.61 एकड़

उक्त प्रकार से राजगामी घोषित किये गये उपरोक्त भूमि पर वर्त्तमान में एक औडिटोरियम का निर्माण प्रस्तावित है जिसका निर्माण भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है तथा सरकार के स्वामित्व से संबंधित प्रमाण–पत्र सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाना है।

एवं

चूँकि समाहर्त्ता, जहानाबाद द्वारा **"जहानाबाद अंचल के मौजा–मखदुमपुर ऊँटा अंतर्गत अवस्थित विभिन्न खाता, प्लॉट का कुल 1.61 एकड़ घोषित किये गये राजगामी सम्पत्ति पर राजस्व पर्षद की स्वीकृति हेतु अनुशंसा आयुक्त मगध प्रमण्डल, गया के ज्ञापांक–1713, दिनांक–02.05.2022 द्वारा राजस्व पर्षद से की गई है"** एवं

चूँकि बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली–1958 के नियम 356 के आलोक में स्थावर या जंगम सभी सम्पत्ति जिसका कोई वैध दावेदार नहीं होता, राज्य की हो जाती है। बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली–1958 के नियम 358 का सुसंगत उद्धरण निम्न प्रकार है–

"बोर्ड और समाहर्त्ता के कर्त्तव्य–धारा 8, विनियम 19, 1810 के द्वारा सभी राजगामी हुई सम्पत्तियों की सामान्य देखरेख की शक्ति बोर्ड में निहित है, अतः बोर्ड को इस प्रकार की किसी सम्पत्ति के संबंध में स्थानीय एजेंटों के जरिए पूरी जानकारी रखनी होगी और यह बताना होगा कि उसकी राय में उस सम्पत्ति की बिक्री लोक–लेखार्थ कर दी जाए या यदि उसे अन्यथा निबटाया जाए तो किस रीति से। पदेन स्थानीय एजेंट होने के नाते समाहर्त्ता को चाहिए कि वह नियम 359 में उल्लिखित अपवादों के अधीन रहते हुए, ऐसे सभी मामलों के संबंध में, आयुक्त और बोर्ड का आदेश प्राप्त करने के लिए उनके पास रिपोर्ट करें, जिनमें उसे पदावी स्थावर सम्पत्ति के विद्यमान होने की जानकारी प्राप्त हो।"

अतः जहानाबाद अंचल के मौजा–मखदुमपुर ऊँटा अवस्थित उपरोक्त वर्णित राजगामी घोषित किये गये 1.61 एकड़ भूमि पर आयुक्त मगध प्रमण्डल, गया से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सरकार द्वारा विषयांकित भूमि पर अपना स्वत्व पंजीकृत करने एवं विषयांकित भूमि का विकास करने के प्रस्ताव पर राजस्व पर्षद की स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही औडिटोरियम निर्माण के संबंध में समाहर्त्ता, जहानाबाद द्वारा सरकार से नियमानुसार यथा आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त प्रस्ताव पर माननीय अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

राजस्व पर्षद, बिहार के आदेशानुसार,

30/10/2023

(अनिल कुमार झा, भा0प्र0से0)
सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 07/स्था0(राजगामी)–07/2023– 1218 पटना, दिनांकः– 30-10-2023

प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता जहानाबाद को उनके पत्रांक–1817/रा0, दिनांक–12.08.2023के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/10/2023

(अनिल कुमार झा, भा0प्र0से0)
सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 07/स्था0(राजगामी)–07/2023– 1218 पटना, दिनांकः– 30-10-2023

प्रतिलिपिः– आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया के ज्ञापांक–1713/विधि, गया दिनांक–02.05.2022 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/10/2023

(अनिल कुमार झा, भा0प्र0से0)
सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

30/10/23